राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ.1(6)डीओपी/ए-II/84 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 14.10.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 18.07.2018 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे सिवाय इन संशोधन नियमों के नियम 4,5 के और नियम 8 के खण्ड (i) के जो 01.04.2020 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम,1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के खंड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "2010" के स्थान पर अभिव्यक्ति "2018", 18.07.2018 से प्रतिस्थापित की गयी समझी जायेगी।

3.नियम 23 का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 23 के स्थान पर 18.07.2018 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"23.निर्धारण.- किसी भी सहायक आचार्य/ सह आचार्य को विहित वेतनमान में निर्धारण के प्रक्रम को पार करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा कोई निर्धारण न किया गया हो,-

(i) आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उसका कोई सदस्य — अध्यक्ष

(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग — सदस्य

(iii) कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव या उसका उप शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्देशिति — सदस्य

(iv) उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ — सदस्य

(v) उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट, अनु.जा./अ.जन.जा./अति पिछड़े वर्ग/ पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ बैंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के प्रवर्गों में का, कोई शिक्षाविद्, यदि विनियमों के अनुसार अपेक्षित हो — सदस्य

(vi) आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान — सदस्य-सचिव

टिप्पण:- 1. आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, उस समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा, जिसमें वह उपस्थित हो।

2. बैठक के लिए गणपूर्ति, आयोग का अध्यक्ष या सदस्य और दो विषय विशेषज्ञों सहित 5 सदस्य की होगी।

4. **भाग-VI के शीर्ष का संशोधन.**- उक्त नियमों के भाग-VI के विद्यमान शीर्ष के स्थान पर, 01.04.2020 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"महाविद्यालयों के प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक के पद पर चयन के लिए तथा आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य की कैरियर उन्नति स्कीम के अधीन पदोन्नति के लिए, पात्रता और प्रक्रिया"

5. **नियम 26 का संशोधन.**-उक्त नियमों के नियम 26 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर 01.04.2020 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(2) **चयन के लिए प्रक्रिया.**- इन नियमों के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, महाविद्यालयों के प्राचार्य/संयुक्त निदेशक की वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों को पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने हेतु उनकी वास्तविक संख्या प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करेगा; और"

(ii) विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर 01.04.2020 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(4)(क) चयन, निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा किया जायेगा,-

(i) आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उसका कोई सदस्य — अध्यक्ष

(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
(iii) कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव या उसका उप शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई नामनिर्देशिति	सदस्य
(iv) उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो उच्चतर शिक्षा विशेषज्ञ	सदस्य
(v) उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट, अनु.जा./अ.जन.जा./ अति पिछड़े वर्ग/ पिछड़े वर्ग /अल्पसंख्यक/ महिला/ बैंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के प्रवर्गों में का कोई शिक्षाविद्, यदि विनियमों के अनुसार अपेक्षित हो	सदस्य
(vi) आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान	सदस्य-सचिव

टिप्पण: 1. आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, उस समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा, जिसमें वह उपस्थित हो।

2. बैठक के लिए गणपूर्ति, आयोग का अध्यक्ष या सदस्य और दो उच्चतर शिक्षा विशेषज्ञों सहित 5 सदस्य की होगी।

(ख) समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के नाम वरिष्ठताक्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे और महाविद्यालयों के प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक के पद पर उनके चयन के लिए सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे।"

6. **नियम 26क का हटाया जाना.-** उक्त नियमों का विद्यमान नियम 26क 18.07.2018 से हटाया गया समझा जायेगा।

7. **नियम 26ख का संशोधन.-** (1) उक्त नियमों के नियम 26ख में,

(i) विद्यमान शीर्ष के स्थान पर 18.07.2018 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"कैरियर उन्नति स्कीम के अधीन सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान), सहायक आचार्य (चयन ग्रेड), सह आचार्य और आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया"

(ii) उप-नियम (1) के खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उपलब्धि आधारित मूल्यांकन प्रणाली (उ.आ.मू.प्र.) पर आधारित शैक्षणिक उपलब्धि सूचक (शै.उ.सू.) लागू होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "कैरियर उन्नति स्कीम के लिए निर्धारण मानदंड और कार्यविधि किंतु उपलब्धि आधारित मूल्यांकन प्रणाली (उ.आ.मू.प्र.) पर आधारित शैक्षणिक उपलब्धि सूचक (शै.उ.सू.), उन संकाय सदस्यों के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उप-नियम (4) के अधीन विनियम 2010 का विकल्प देते हैं।", 18.07.2018 से प्रतिस्थापित की गयी समझी जायेगी; और

(iii) विद्यमान उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (4), 18.07.2018 से जोड़ा गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(4) उन संकाय सदस्यों, जो वि.अ.आ. विनियम,2010 के अनुसार विद्यमान नियमों के अधीन पहले से ही अर्हित हैं, को किसी भी कठिनाई से बचाने हेतु, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2022 के जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर, वि.अ.आ. विनियम, 2018 के खण्ड 6.3 के अधीन यथा उपबंधित विद्यमान नियमों के अधीन अगले उच्चतर शैक्षणिक स्तर पर पदोन्नतियों के लिए विचार किये जाने हेतु विकल्प दिया जा सकेगा।"

8. अनुसूची-1 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर 01.04.2020, से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"

2.	महाविद्यालय का प्राचार्य/संयुक्त निदेशक (अकादमिक)	100 % चयन द्वारा	-	आचार्य/ सह आचार्य	क. पात्रता: (i) पीएच.डी. उपाधि (ii) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम पंद्रह वर्षों के अध्यापन/ अनुसंधान की कुल सेवा/ अनुभव के साथ, आचार्य/ सह आचार्य (iii) समकक्ष-समीक्षित या वि.अ.आ.-सूचीबद्ध जर्नल में न्यूनतम 10 अनुसंधान प्रकाशन। (iv) परिशिष्ट-II, सारणी-2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान स्कोर। ख. सेवावधि (i) महाविद्यालय प्राचार्य, पाँच वर्ष की कालावधि या उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जायेगा, नियम 26 के उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट समिति द्वारा कार्य निर्धारण के आधार पर अवधि,	यदि पात्र आचार्य उपलब्ध न हों तो प्राचार्यों/संयुक्त निदेशकों के पदों को सह आचार्यों द्वारा भरा जा सकेगा।

					पाँच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी। (ii) प्राचार्य के रूप में अपनी अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् पदधारी, आचार्य के रूप में पदनाम के साथ और आचार्य की ग्रेड में वापस पद ग्रहण करेगा।	

"

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 4,5,6,7,8 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर 18.07.2018 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"

4.	आचार्य	कै.उ.स्की. के अधीन 100 % पदोन्नति द्वारा	-	सह आचार्य	1. सह आचार्य, जिन्होंने शैक्षणिक स्तर 13क में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 2.सुसंगत/सहबद्ध/ सुसंगत शाखा के विषय में पीएच.डी. उपाधि। 3. समकक्ष-समीक्षित या वि.अ.आ.- सूचीबद्ध जर्नल में न्यूनतम 10 अनुसंधान	-

					प्रकाशन, जिनमें से तीन अनुसंधान पत्र निर्धारण कालावधि के दौरान प्रकाशित किए जायेंगे। 4. परिशिष्ट-II, सारणी-2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान स्कोर और अध्यापक ने, परिशिष्ट-II, सारणी-1 के अनुसार निर्धारण कालावधि के विगत तीन वर्ष में से कम से कम दो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में 'संतोषजनक' या 'अच्छा' ग्रेड और परिशिष्ट-II, सारणी-2 के अनुसार कम से कम 110 अनुसंधान स्कोर प्राप्त किये हों।	

5.	सह आचार्य	के.उ.स्की. के अधीन 100 % पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य, (चयन ग्रेड)	1. सहायक आचार्य जिसने शैक्षणिक स्तर 12/चयन ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 2. सुसंगत/सहबद्ध/ सुसंगत शाखा के विषय में पीएच.डी. उपाधि। 3.विगत तीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कोई एक: रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/कार्यविधि कार्यशाला/ पाठ्य विवरण उन्नयन कार्यशाला/ अध्यापन अध्ययन- मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम के प्रवर्गों में से कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) की अवधि का एक पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम पूर्ण किया हो (या कम से कम दो सप्ताह (दस	-

					दिवस) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर, कम से कम एक सप्ताह (पाँच दिवस) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किये हों); या एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई-प्रमाणीकरण के साथ) पूर्ण किया हो; या चार चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश), में ई-विषयवस्तु के विकास के प्रति योगदान, पाठ्यक्रम के न्यूनतम 10 मॉड्यूलस/ एमओओसी पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूलस के विकास के प्रति योगदान/निर्धारण कालावधि के दौरान एमओओसी पाठ्यक्रम के संचालन के प्रति योगदान;	

					और उसने, परिशिष्ट-II, सारणी-1 में यथा विहित निर्धारण कालावधि के विगत तीन वर्ष में से कम से कम दो के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में 'संतोषजनक' या 'अच्छा' ग्रेड प्राप्त किया हो।	
6.	सहायक आचार्य (चयन ग्रेड)	कै.उ.स्की. के अधीन 100 % पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान)	1. सहायक आचार्य, जिसने शैक्षणिक स्तर 11/ वरिष्ठ वेतनमान में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 2. शैक्षणिक स्तर 11/वरिष्ठ वेतनमान के विगत 5 वर्ष में निम्नलिखित में से कोई दो; रिफ्रेशर पाठ्यक्रम/ अनुसंधान कार्यविधि पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/ पाठ्य विवरण उन्नयन कार्यशाला/ अध्यापन-	-

					अध्ययन- मूल्यांकन/ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम के प्रवर्गों में से कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) की अवधि का पाठ्यक्रम/कार्यक्रम पूर्ण कर लिया हो (या कम से कम दो सप्ताह (दस दिवस) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पाँच दिवस) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किये हों); या सुसंगत विषय में एमओओसी पाठ्यक्रम (ई-प्रमाणीकरण) सहित पूर्ण किया हो; या चार चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई-विषयवस्तु के विकास के लिए योगदान, पाठ्यक्रम के न्यूनतम 10	

						मॉड्यूलस/ एमओओसी पाठ्यक्रम कम से कम 10 मॉड्यूलस के विकास के प्रति योगदान/निर्धारण कालावधि के दौरान एमओओसी पाठ्यक्रम के संचालित करने के प्रति योगदान; और अध्यापक ने, (परिशिष्ट-II, सारणी-1 में यथाविहित) निर्धारण कालावधि के विगत पाँच वर्ष में से कम से कम चार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में 'संतोषजनक' या 'अच्छा' ग्रेड प्राप्त किया हो।	
7.	सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान)	कै.उ.स्की. के अधीन 100 % पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य	सहायक आचार्य, जिसने चार वर्ष की सेवा पूर्ण की हो और पीएच.डी. उपाधि हो या पाँच वर्ष की सेवा और वृत्तिक	-	

					पाठ्यक्रमों जैसे एलएलएम, एमटेक, एमवीएससी, एमडी में एम.फिल/स्नातकोत्तर डिग्री, या वृतिक पाठ्यक्रमों में उनके लिए जो बिना पीएच.डी./एम.फिल./ स्नातकोत्तर डिग्री के हैं, छह वर्ष की सेवा। (i) अध्यापन कार्यविधि पर 21 दिवस के एक ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और (ii) निम्नलिखित में से कोई एक: रिफ्रेशर/अनुसंधान कार्यविधि पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; या निम्नलिखित में से कोई दो: कम से कम एक सप्ताह (पाँच दिवस) की अवधि की कार्यशाला, पाठ्य	

					विवरण उन्नयन कार्यशाला, अध्यापन-अध्ययन- मूल्यांकन प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम; या एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई-प्रमाणीकरण सहित) या चतुर्थांश में ई-विषयवस्तु का विकास/ निर्धारण कालावधि के दौरान एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; और उसने परिशिष्ट-II, सारणी-1 में यथाविनिर्दिष्ट, निर्धारण कालावधि के विगत चार/पाँच/छह वर्षों में से कम से कम तीन/चार/ या, यथास्थिति, पाँच वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में	

					संतोषजनक' या 'अच्छा' ग्रेड प्राप्त किया हो।	
8.	सहायक आचार्य	100 % सीधी भर्ती द्वारा	कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा और पत्रकारिता एवं जनसंचार की शाखाओं के लिए क.(i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/ सुसंगत/सहबद्ध विषय में 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी गयी है, वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री	-	-	सीधी भर्ती के लिए पात्रता और अच्छे शैक्षणिक अभिलेख पाने के प्रयोजन के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़े वर्ग/ पिछड़े वर्ग(पि.व.) (नॉन-क्रीमी लेयर)/ नि:शक्तजन (क) अंधता और अल्प दृष्टि ; (ख) बधिर और कम सुनने वाला; (ग) लोकोमोटर नि:शक्तता जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड-अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास; (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक नि:शक्तता, विशिष्ट अध्यापन नि:शक्तता और मानसिक बीमारी; (ङ) बधिर-अंधता को सम्मिलित करते हुए (क) से (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु- नि:शक्तताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए स्नातक

			या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी को वि.अ.आ. या सी.एस.आई.आर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा, जैसे स्लेट/सेट उत्तीर्ण होना चाहिए या जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएच.डी. उपाधि के न्यूनतम मानक एवं			के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच प्रतिशत का शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा। 55% अंक के पात्रता अंक (या किसी पॉइन्ट स्केल, जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है, में कोई समतुल्य ग्रेड) और उपरोल्लिखित प्रवर्गों को 5% शिथिलीकरण, किसी अनुग्रह अंक प्रक्रिया के बिना, केवल अर्हित अंकों के आधार पर अनुज्ञात होगा।

			प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और, यथास्थिति, समय-समय पर किये गये उनके संशोधनों के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की जा रही है या प्रदान की गयी है उन्हें नेट/स्लेट/ सेट से छूट दी जा सकेगी: परन्तु 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी, उपाधि प्रदान करने वाले तत्समय विद्यमान आर्डिनेन्सों /उप-विधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और			

			ऐसे पीएच.डी. उपाधि वाले अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति या विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में समतुल्य स्थितियों के लिए नेट/स्लेट/ सेट की पात्रता शर्त की आवश्यकता से, निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी:- (क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की उपाधि नियमित रीति में प्रदान की गयी हो;			

			(ख) पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा; (ग) अभ्यर्थी की ओपन पीएच.डी. की मौखिक परीक्षा संचालित की गयी हो; (घ) अभ्यर्थी ने उसके पीएच.डी. कार्य में से दो अनुसंधान पत्र प्रकाशित किये हों जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में हो। (ङ) अभ्यर्थी ने वि.अ.आ./ आईसीएसएसआर			

			/ सीएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्त पोषित समर्थित सम्मेलनों/ सेमिनारों/ में अपने पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो पत्र प्रस्तुत किये हों। इन शर्तों की पूर्ति, संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या संकायाध्यक्ष (अकादमिक मामले) द्वारा प्रमाणित की जानी है। टिप्पण: ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए			

			नेट/स्लेट/सेट अपेक्षित नहीं होगा जिनके लिए, वि.अ.आ., सीएसआईआर द्वारा नेट/स्लेट/सेट या वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती है; या ख. निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग (किसी भी समय) में उच्चतम 500 में से किसी एक रैंकिंग के अर्जित करने के साथ किसी विदेशी विश्वविद्यालय/			

			संस्थान से पीएच.डी. उपाधि प्राप्त की गयी हो: (i) क्वाक्वेरेली सायमंड्स (क्यू एस) (ii) टाइम्स हायर एज्यूकेशन (टीएचई) या (iii) शंघाई जिआओ टॉंग विश्वविद्यालय (शंघाई) की वैश्विक विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यूयू)। संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, दृश्य कला और अन्य पारंपरिक भारतीय कला के प्रकार जैसे मूर्तिकला, आदि की शाखाओं के लिए:-			

			क.(i) सुसंगत विषय में 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी गयी है, वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या किसी भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को वि.अ.आ., सी.एस.आई.आर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या वि. अ. आ. द्वारा प्रत्यायित समान			

			परीक्षा, जैसे स्लेट/सेट उत्तीर्ण होना चाहिए या जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएच.डी. उपाधि के न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और, यथास्थिति, समय-समय पर किये गये उनके संशोधनों के अनुसार पीएच.डी. उपाधि प्रदान की जा रही है या प्रदान की गयी है: परन्तु यह और कि 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए			

			रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी, उपाधि प्रदान करने वाले तत्समय विद्यमान आर्डिनेन्सों/उप-विधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. उपाधि वाले अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य की या विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में समतुल्य स्थितियों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्त की आवश्यकता से, निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण			

			करने के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी:- (क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की उपाधि नियमित रीति में प्रदान की गयी हो; (ख) पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा; (ग) अभ्यर्थी की ओपन पीएच.डी. की मौखिक परीक्षा संचालित की गयी हो; (घ) अभ्यर्थी ने उसके पीएच.डी. कार्य में से दो			

१

			अनुसंधान पत्र प्रकाशित किये हों, जिसमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में हो। (ङ) अभ्यर्थी ने वि.अ.आ./एआईसीओई/ आईसीएसएसआर या किसी समान एजेंसी द्वारा समर्थित/वित्त पोषित/प्रायोजित सम्मेलनों/ सेमिनारों में अपने पीएच.डी. कार्य पर आधारित कम से कम दो अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए हों। टिप्पण 1: इन शर्तों की			

			पूर्ति, संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रमाणित की जानी है। टिप्पण 2: ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिनके लिए, वि.अ.आ., सीएसआईआर द्वारा नेट/स्लेट/सेट या वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती है;			

			या ख. संबंधित विषय में अत्यधिक प्रशंसनीय वृत्तिक उपलब्धि के साथ स्नातक डिग्री रखने वाला पारंपरिक या वृत्तिक कलाकार:- (i) जिसने विख्यात/ ख्याति प्राप्त पारंपरिक मास्टर (मास्टरों) कलाकार (कलाकारों) के अधीन अध्ययन किया हो; (ii) जो आकाशवाणी दूरदर्शन का 'ए' ग्रेड कलाकार रहा हो; (iii) जो संबंधित विषय को			

			तर्कसम्मत तार्किकता के साथ समझाने में सक्षम हो; और (iv) जो संबंधित शाखा में दृष्टांतों के साथ सिद्धांत के अध्यापन का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। नाटक शाखा के लिए क.(i) सुसंगत विषय में 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी गयी है, वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से			

			समतुल्य डिग्री। (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को वि.अ.आ. या सी.एस.आई.आर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा, जैसे स्लेट/सेट उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए या जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएच.डी. उपाधि के न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और, यथास्थिति,			

			समय-समय पर किये गये उनके उनके संशोधनों के अनुसार पीएच.डी. उपाधि प्रदान की जाती है या प्रदान की गयी है, उन्हें नेट/स्लेट/सेट से छूट दी जा सकेगी: परन्तु 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्समय विद्यमान आर्डिनेन्सों/उप-विधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. उपाधि वाले			

			अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य की या विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में, समतुल्य स्थितियों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/ सेट की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी:- (क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की उपाधि नियमित रीति में प्रदान की गयी हो; (ख) पीएच.डी.			

			थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा; (ग) अभ्यर्थी की ओपन पीएच.डी. की मौखिक परीक्षा संचालित की गयी हो; (घ) अभ्यर्थी ने उसके पीएच.डी. कार्य में से दो अनुसंधान पत्र प्रकाशित किये हों, जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में हो। (ङ) अभ्यर्थी ने वि.अ.आ./ सीएसआईआर/ आईसीएसएसआर			

			या किसी समान एजेंसी द्वारा समर्थित/वित्त पोषित/ प्रायोजित/ सम्मेलनों/ सेमीनारों में अपने पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए हों। टिप्पण 1: इन शर्तों की पूर्ति, संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या संकायाध्यक्ष (अकादमिक मामले) द्वारा प्रमाणित की जानी है। टिप्पण 2: ऐसे स्नातकोत्तर			

			कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिनके लिए, वि.अ.आ., सीएसआईआर द्वारा नेट/स्लेट/सेट या वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती है; या ख. संबंधित विषय में अत्यधिक प्रशंसनीय वृत्तिक उपलब्धि के साथ पारंपरिक या वृत्तिक कलाकार, जिसके पास निम्नलिखित हो;			

			(i) 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी गयी है, वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य ग्रेड सहित) तीन वर्षीय स्नातक डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर डिग्री सहित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या भारत या विदेश में ऐसी किसी अन्य संस्था से वृत्तिक कलाकार रहा हो; (ii) क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साक्ष्य द्वारा समर्थित पाँच वर्ष के नियमित प्रशंसित प्रदर्शन; और (iii) संबंधित			

			शाखा में दृष्टांतों के साथ सिद्धांत के अध्यापन का पर्याप्त ज्ञान और संबंधित विषय को तर्कसम्मत तार्किकता से समझाने की क्षमता रखता हो। योग शाखा के लिए क. किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से योग या किसी अन्य सुसंगत विषय में अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी गयी है, वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य			

			ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या कोई समतुलय डिग्री। उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी को वि.अ.आ., सी.एस.आई.आर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या वि. अ. आ. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा, जैसे स्लेट/सेट उत्तीर्ण होना चाहिए या जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएच.डी. उपाधि के न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम,			

			2009 या 2016 और समय-समय पर किये गये उनके संशोधन। या ख. किसी भी शाखा में कम से कम 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी गयी है, वहां पॉइंट स्केल में कोई समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएच.डी. उपाधि के न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और, यथास्थिति			

			समय-समय पर किये गये उनके संशोधनों के अनुसार योग में पीएच.डी. डिग्री। टिप्पण: योग के नये उभरते क्षेत्र में अध्यापकों की न्यूनता पर विचार करते हुए यह विकल्प उपबंधित किया गया है और विनियम,2018 की अधिसूचना की तारीख से मात्र पॉच वर्ष के लिए वैध होगा।			

(iii) परिशिष्ट-I के अंत में, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: परिशिष्ट-I उनके लिए लागू होगा जिन्होंने नियम 26ख के उप-नियम (4) के अधीन विनियम, 2010 का विकल्प देते हैं।"

(iv) विद्यमान परिशिष्ट-I के पश्चात निम्नलिखित नया परिशिष्ट II जोडा जायेगा, अर्थात्:-

"परिशिष्ट-II, सारणी-I

महाविद्यालयों अध्यापकों के लिए निर्धारण मानदंड और कार्यविधि

क्र.सं.	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग मानदंड
1.	अध्यापन: (अध्यापित कक्षाओं / समुनिदेशित कुल कक्षाओं की संख्या) x 100% अध्यापित कक्षाओं में अनुशिक्षण के सत्र, प्रयोगशाला और अन्य अध्यापन संबंधी क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे)	80% और उससे अधिक- अच्छा 80% से निम्न किन्तु 70% और उससे अधिक- संतोषजनक 70% से निम्न-असंतोषजनक
2.	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय छात्रों से संबंधित क्रियाकलापों/अनुसंधान क्रियाकलापों में सहभागिता: (क) प्रशासनिक उत्तरदायित्व जैसे प्रधान, चेयरपर्सन/संकायाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक,/वार्डन आदि। (ख) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा समुनिदेशित परीक्षा और मूल्यांकन कर्तव्य या परीक्षा पत्र मूल्यांकन में उपस्थित होना। (ग) छात्र संबंधी पाठ्यक्रमेत्तर, विस्तारण और क्षेत्र आधारित क्रियाकलापों जैसे छात्र क्लब, कैरियर परामर्श, अध्ययन दौरे, छात्र सेमीनार और अन्य आयोजन, सांस्कृतिक, खेल, एनसीसी, एनएसएस और सामुदायिक सेवाएं। (घ) सेमीनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन, अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय क्रियाकलाप। (ङ) पीएच.डी छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने का साक्ष्य। (च) राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय ऐजेंसियों द्वारा प्रायोजित गौण या प्रमुख अनुसंधान परियोजना का संचालन। (छ) समकक्ष-समीक्षित या वि.अ.आ. के सूचीबद्ध जर्नल में	अच्छा- कम से कम तीन क्रियाकलापों में सहभागिता संतोषजनक- 1-2 क्रियाकलाप असंतोषजनक- किसी भी क्रियाकलाप में भाग ना लेना /दायित्व नहीं लेना टिप्पण: क्रियाकलापों की संख्या, क्रियाकलाप के व्यापक प्रवर्गों के भीतर या उसके पार हो सकती है।

	कम से कम एक एकल या संयुक्त प्रकाशन।	

संपूर्ण ग्रेडिंग:

अच्छा: क्रम संख्या 2 पर अध्यापन में 'अच्छा' और क्रियाकलापों में 'संतोषजनक' या 'अच्छा'

या

संतोषजनक: क्रम संख्या 2 पर अध्यापन में 'अच्छा' और क्रियाकलापों में 'संतोषजनक' या 'अच्छा'

असंतोषजनक: यदि संपूर्ण ग्रेडिंग में ना तो 'अच्छा' और ना ही 'संतोषजनक' हो।

टिप्पण: क्रम संख्या एक और क्रम संख्या दो पर क्रियाकलाप की ग्रेडिंग के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, अवधि की समस्त ऐसी कालावधियां जो अध्यापक द्वारा विभिन्न प्रकार की छुट्टियों जैसे प्रसूति छुट्टी, बाल परिचर्या छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी, असाधारण छुट्टी और प्रतिनियुक्ति पर ली गयी हैं, ग्रेडिंग निर्धारण से अपवर्जित की जायेंगी।शेष अवधि की कालावधि के लिए अध्यापक का निर्धारण किया जायेगा और उसे निर्धारण की सम्पूर्ण कालावधि का अध्यापक की ग्रेडिंग में पहुँचने के लिए वाग्विस्तार किया जायेगा। जैसा कि उपरोल्लिखित अध्यापक जो ऐसी छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें अध्यापन उत्तदायित्व से अनुपस्थित रहने के कारण पदोन्नति के लिए किसी हानि में नहीं डाला जायेगा उसके इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि, ऐसी छुट्टी/ प्रतिनियुक्ति मूल संस्थान के अधिनियमों कानून और अध्यादेश के अनुसार इन विनियमों में अधिकथित समस्त प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमोदन से ली गयी हो,

सारणी-II

शैक्षणिक/अनुसंधान स्कोर को संगणित करने हेतु महाविद्यालय अध्यापकों के लिए कार्यविधि (निर्धारण, अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए जैसे कि:- विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गये प्रकाशनों, परियोजना स्वीकृति पत्र, अधिभोग एवं समापन प्रमाणपत्रों और पेटेंट फाइलिंग एवं अनुमोदन पत्रों, छात्रों की पीएच.डी उपाधि पत्र आदि के लिए अभिस्वीकृतियां।)

क्र.सं.	शैक्षणिक/अनुसंधान क्रियाकलाप	विज्ञान/कृषि का संकाय	भाषा/मानविकी/कला/ सामाजिक विज्ञान/शिक्षा/ वाणिज्य/ प्रबंधन और अन्य संबंधित शाखाओं का संकाय
1.	समकक्ष-समीक्षित या वि.अ.आ. सूचीबद्ध जर्नल्स में अनुसंधान पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2.	प्रकाशन (अनुसंधान पत्रों से भिन्न)		
	(क) लिखी गयी किताबें जो निम्नलिखित द्वारा प्रकाशित की गयी		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित किताबों में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा किताब का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा किताब का संपादक	08	08
	(ख) अर्हित संकायों द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय या अनुसंधान पत्र	03	03
	किताब	08	08
3.	मध्यवर्ती आईसीटी अध्यापन अध्ययन		

	शिक्षणशास्त्र तथा नये और उन्नत पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्या की अंतर्वस्तु और विकास का सृजन		
	(क) उन्नत शिक्षणशास्त्र का विकास	05	05
	(ख) नये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों का डिजाइन	02 प्रति पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम
	(ग) एमओओसी		
	चार चतुर्थांश में संपूर्ण एमओओसी का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (एमओओसी के मामले में निम्नतर क्रेडिट्स 05 अंक/क्रेडिट)	20	20
	एमओओसी (4 चतुर्थांश में विकसित) प्रति मॉड्यूल/व्याख्यान	05	05
	एमओओसी (कम से कम एक चतुर्थांश) के प्रत्येक मॉड्यूल के लिए अंतर्वस्तु लेखक/विषय वस्तु विशेषज्ञ	02	02
	एमओओसी (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक (एमओओसी के मामले में निम्नतर क्रेडिट्स 02 अंक/क्रेडिट)	08	08
	(घ) ई-अंतर्वस्तु		
	संपूर्ण पाठ्यक्रम/ई-बुक के लिए 4 चतुर्थांश में ई-अंतर्वस्तु का विकास	12	12
	ई-अंतर्वस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित) प्रति मॉड्यूल	05	05
	संपूर्ण पाठ्यक्रम/पत्र/ई-बुक में ई-अंतर्वस्तु मॉड्यूल के विकास के प्रति योगदान (कम	02	02

	से कम एक चतुर्थांश)		
	संपूर्ण पाठ्यक्रम/पत्र/ई-बुक के लिए ई-अंतर्वस्तु का संपादक	10	10
4.	(क) अनुसंधान मार्गदर्शन		
	पीएच.डी	10 प्रति दी गयी उपाधि 05 प्रति प्रस्तुत की गयी थीसिस	10 प्रति दी गयी उपाधि 05 प्रति प्रस्तुत की गयी थीसिस
	एम.फिल/स्नातकोतर डिसर्टेशन	02 प्रति दी गयी उपाधि	02 प्रति दी गयी उपाधि
	(ख) पूर्ण की गयी अनुसंधान परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	10	10
	10 लाख से कम	05	05
	(ग) जारी अनुसंधान परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	05	05
	10 लाख से कम	02	02
	(घ) परामर्श	03	03
5.	(क) पेटेंट्स		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	(ख) *पॉलिसी दस्तावेज (किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन जैसे यूएनओ/यूनेस्को/ विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये हों)		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	राज्य	04	04
	(ग) अवार्ड/फैलोशिप		

	अंतर्राष्ट्रीय	07	07
	राष्ट्रीय	05	05
6.	*आमंत्रित किये गये व्याख्यान/रिसोर्स पर्सन/ सेमीनारों/सम्मेलनों में पत्र का प्रस्तुतीकरण/सम्मेलन कार्यवाहियों में सम्पूर्ण पत्र (सेमीनारों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किया गया और सम्मेलन कार्यवाहियों में सम्पूर्ण पत्र के रूप में भी प्रकाशित किया गया पत्र केवल एक बार ही संगणित किया जायेगा)		
	अंतर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	07
	अंतर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	05
	राष्ट्रीय	03	03
	राज्य/विश्वविद्यालय	02	02

अनुसंधान पत्रों के लिए अनुसंधान स्कोर निम्नानुसार संवर्धित होगा:-

समकक्ष-समीक्षित या वि.अ.आ.- सूचीबद्ध जर्नल्स (प्रभाव कारक का थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार अवधारित किया जाना):-

(i)	प्रभाव कारक के बिना संदर्भित जर्नल में पत्र	5 अंक
(ii)	एक से कम प्रभाव कारक के साथ पत्र	10 अंक
(iii)	एक और दो के बीच प्रभाव कारक के साथ पत्र	15 अंक
(iv)	दो और पाँच के बीच प्रभाव कारक के साथ पत्र	20 अंक
(v)	पाँच और दस के बीच प्रभाव कारक के साथ पत्र	25 अंक
(vi)	दस से अधिक प्रभाव कारक के साथ पत्र	30 अंक

(क) दो लेखक: प्रत्येक लेखक के लिए प्रकाशन के कुल मूल्य का 70%।

(ख) दो लेखकों से अधिक: प्रथम/प्रमुख/तत्समान लेखक के लिए प्रकाशन के कुल मूल्य का 70% और प्रत्येक संयुक्त लेखकों के लिए प्रकाशन के कुल मूल्य का 30%।

संयुक्त परियोजनाएं: प्रमुख अन्वेक्षक और सह-अन्वेक्षक प्रत्येक को 50% प्राप्त होगा।

टिप्पण:

- यदि संपादकीय किताब या कार्यवाही का भाग प्रस्तुत किये गये पत्र पर केवल एक बार दावा किया जा सकता है।
- अनुसंधान छात्रों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए फार्मूला, पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक के लिए स्कोर का 70% होगा। पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।
- *अध्यापक के अनुसंधान स्कोर को संगणित करने के प्रयोजन के लिए 5(ख) पोंलिसी दस्तावेज और 6. आमंत्रित किये गये व्याख्यान/रिसोर्स पर्सन/पत्र का प्रस्तुतीकरण के प्रवर्गों से संयुक्त अनुसंधान स्कोर, संबंधित अध्यापक के कुल अनुसंधान स्कोर के 30% की ऊपरी सीमा होगी।
- अनुसंधान स्कोर, 6 प्रवर्गों में से न्यूनतम तीन प्रवर्गों में से होगा।
- सुसंगत/ सहबद्ध विषय राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाने हैं।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

14/10/2022

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

57/2022